**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 10.08.2026**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को थाना बदौसा  पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

**विवरण**- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना बदौसा पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि दिनांक 09/10.08.2026 की देर रात्रि थाना बदौसा पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर एक व्यक्ति को ग्राम तुर्रा गौशाला के पास से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ घूमते हुए पकड लिया। जिसके सम्बन्ध में थाना बदौसा में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

**बरामदगी-**

- 01  अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. सीताशरणे पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम तुर्रा थाना बदौसा जनपद बांदा।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0- 147/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बदौसा जनपद बांदा।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 श्री लालाराम थाना बदौसा
2. कां0 उत्कर्ष शुक्ला
3. कां0 आलोक यादव